यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून के माह 04/2016 से 12/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री साहिल जौली, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15/01/2021 से 22/01/2021 तक श्री के॰ एल॰ भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। जिसमे लेखापरीक्षा माह 04/2016 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई का प्राथमिक कार्य विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं उसके अंतर्गत बनी पैकज वस्तु नियमावली 2011 तथा उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन नियमावली) 2012 के प्रावधानों को लागू किया जाना है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे गढ़वाल मण्डल आता है।

ii). (अ). विगत वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प्रारम्भिक अवशेष		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्ति	केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00
	राज्य सरकार	351.86	250.94	297.91	82.00	0.00
	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्त धनराशि		351.86	250.94	297.91	82.00	0.00
कुल व्यय		183.15	219.38	275.78	65.54	209.91
अंतिम अवशेष		168.71	31.56	22.13	16.64	---

*** धनराशि रु 176.00 लाख जिलाधिकारी देहरादून के पी॰ एल॰ ए॰ खाते मे अनुरक्षित है।**

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या 25 के अंतर्गत किया जाता है तथा गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'स' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). सचिव, खाद्द एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

2). नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, देहरादून

3). उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून

4). सहायक नियंत्रक

5). वरिष्ठ निरीक्षक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04/2016 से 12/2020 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2016, 03/2019 तथा 11/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो-"अ"

प्रस्तर 01: हाइड्रालिक क्रेन का का उपयोग किए बिना ही नीलामी किए जाने के कारण रु. 52.82 लाख का ब्यय निष्फल होने का प्रकरण

As per letter no. WM8(1)05-pt.government of India department of consumer affairs weights and measures Krishi Bhavan new Delhi dated 18.07.05 regarding 'strengthening of the legal metrology laboratories of the states and union territories'. In order to strengthen the Infrastructure in working and secondary standard laboratories of the state, department of consumer affairs asked for willingness from state government of the equipments like mobile test kit for testing weigh bridges as one time gift instruments and to report on the effect of utilization of the equipment and replication of such facilities in the states was to be seen to the department on half yearly basis.

उपरोक्त के क्रम मे विभाग को liftmak LMFTc-12000 hydraulic foldable crane with wing body and weights engine No E683CD8A501035 chassis no. 40LC8A006446 वर्ष 2008 (04/2008) मे प्राप्त हुई Hydraulic foldable crane जिसका मूल्य रु. 52,82,313/- है लेखापरीक्षा की जांच मे पाया गया कि इस वाहन मोबाइल किट जिसकी क्षमता 25 टन है, को केवल 13.12.2009 से 06.01.2010 तक (25 दिन) ही निरीक्षण कार्य के लिए उपयोग मे लाया गया (पत्रांक 477/नि॰वि॰मा॰वि॰/mobile किट /2020-21 दिनांक 30.07.2020) इस के उपरांत यह वाहन ट्रांसपोर्ट नगर के खाद्दान्न गोदाम परिसर मे अक्रियाशील खड़ा किया गया, जो वर्तमान तक अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे अवगत कराया कि उक्त वाहन के नीलामी की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है। वाहन के संचालन हेतु कोई भी ड्राइवर नियुक्त नहीं है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है। इसका उपयोग भारी वजन मापकों यथा धर्मकाटों के सत्यापन हेतु किया जाना था, परंतु हाइड्रालिक क्रेन के अप्रयुक्त रहने की स्थिति मे इस पर ब्ययित धनराशि रु. 52.82 पूर्णतः निष्फल रही, क्योंकि बिना उपयोग के ही हाइड्रालिक क्रेन की नीलामी करनी पड़ रही है।

अतः हाइड्रालिक क्रेन का का उपयोग किए बिना ही नीलामी किए जाने के कारण रु. 52.82 लाख का ब्यय निष्फल होने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो-"ब"

प्रस्तर 01: रु. 62.24 लाख के ब्यय के उपरान्त भी केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त मोबाइल वेबीज टेस्टिंग वाहन अक्रियाशील होने के परिणामस्वरूप उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने का प्रकरण।

Legal Metrology Act 2009, Ch.-IV 24(1) directs that every person having any weight or measure in his possession or control…before putting such weight or measure in use…will be verified by the Controller. उत्तराखण्ड राज्य मे बाट-माप का सत्यापन कार्यालय विधिक माप विज्ञान द्वारा किया जाता है, जो कि खाद्य विभाग के अन्तर्गत क्रियाशील है।

उच्च भार क्षमता के धर्मकांटों के सत्यापन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मोबाइल वेबीज टेस्टिंग वाहन उत्तराखण्ड राज्य को दिये गए थे। उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित 12 टन क्षमता के मोबाइल वेबीज टेस्टिंग वाहन की पत्रावली की जांच मे पाया गया कि अगस्त 2010 मे Mobile Standard Weight Kit Chassis No. Mc 230ERCOAG017599 engine no e683CDAG501765 जिसका मूल्य रु 6224366/- है, उपलब्ध कराया गया था। इस वाहन को जनवरी 2015 मे मरम्मत कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया था (पत्रांक 76/वि.वि.मा.वि./मो. किट 2015-16 दिनांक 20/05/2015) परंतु पत्रांक 1015/नि.वि.मा.वि./मो. किट 12 टन /2020-21 दिनांक 11/01/2020 के अनुसार उपरोक्त वाहन आतिथि (01/2021) तक क्रियाशील अवस्था मे नही था । परिणामस्वरूप, रु. 62.24 लाख के ब्यय के उपरान्त भी केन्द्र सरकार द्वारा मोबाइल वेबीज टेस्टिंग वाहन उत्तराखण्ड राज्य को दिये जाने के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी, क्योंकि इसके अभाव मे धर्मकांटों का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे अवगत कराया कि उक्त वाहन के कार्यशील नहीं होने की स्थिति मे चालक द्वारा राजकीय वाहन (बोलेरों) को चलाने का कार्य दिया गया है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः रु. 62.24 लाख के ब्यय के उपरान्त भी केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को प्रदत्त मोबाइल वेबीज टेस्टिंग वाहन अक्रियाशील होने के परिणामस्वरूप उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
शून्य	-	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य	--	--		--	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

2). सतत् अनियमिततताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री मंगत सिंह नेगी	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून	01.04.2016 से 05.07.2018 तक
श्री कृष्ण कुमार	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून	06.07.2018 से 31.12.2020 तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे “उप-महालेखाकार/ AMG-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 ” को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए०एम०जी०-I